

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 1(477)एम.ई./ग्रुप-1/2017

जयपुर, दिनांक 4 FEB 2018

आदेश

इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप-1/1996 दिनांक 10.03.2017 के द्वारा डॉ० मनमोहन (मेरिट क्रमांक 119/अजजा., जन्म तिथि 15.07.1987) को वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति प्रदान करते हुए इनका पदस्थापन मेडिकल कॉलेज, जयपुर में किया गया था। नियुक्ति आदेश के अनुसार डॉ० मनमोहन को आदेश जारी होने की तिथि से चार सप्ताह की समयावधि में पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण करना था।

डॉ० मनमोहन द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कार्यभार ग्रहण काल में अभिवृद्धि हेतु अनुरोध किया गया। जिसके क्रम में विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)चि.शि./ग्रुप-1/1996 पार्ट-2 दिनांक 07.04.2017 के द्वारा डॉ० मनमोहन के कार्यभार ग्रहण काल में दिनांक 31.05.2017 तक की अभिवृद्धि कर निर्देशित किया गया था कि निर्धारित समयावधि में पदस्थापित स्थान पर कार्यग्रहण हेतु उपस्थित हों।

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज जयपुर के पत्रांक 2011/एफ/एमसी/ईजी/2018 दिनांक 18.01.2018 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार डॉ० मनमोहन ने दिनांक 18.01.2018 तक वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इससे यह स्पष्ट होता है कि डॉ० मनमोहन उक्त नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने के इच्छुक नहीं है। अतः डॉ० मनमोहन के द्वारा नवनियुक्ति पर पदस्थापन स्थान पर कार्यभार ग्रहण नहीं करने के फलस्वरूप इस विभाग के आदेश क्रमांक प. 1(12)एम.ई./ग्रुप-1/1996 दिनांक 10.03.2017 के द्वारा उनका वरिष्ठ प्रदर्शक, पैथोलोजी के पद पर नियुक्ति हेतु जारी आदेश एतद्वारा तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से,


(रतन लाल)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को उनके पत्रांक एफ. 7(33)भर्ती/गोपनीय/2013-14/210 दिनांक 06.09.2016 एवं एफ. 7(33)भर्ती 'ख'/2013-14/771 दिनांक 06.10.2016 एवं एफ. 7(33)भर्ती/गोपनीय/2013-14/193 दिनांक 12.07.2017 के संदर्भ में।
3. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
4. डा० मनमोहन पुत्र श्री भागचन्द बागड़ी, 135, विनोवा विहार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर(राज.)-302017 (रजिस्टर्ड डाक से)।
5. सहायक प्रोग्रामर चिकित्सा शिक्षा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।



(महेश व्यास)

शासन सहायक सचिव